बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0 संख्या:– 2/अ0प्र0–01–142/2021 2855/ पटना, दिनांक :– 11.11.24

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत सरिस्ताबाद से पछैती तक पथ निर्माण कार्य की मुख्य अभियंता–1 की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय जॉच समिति से जॉच कराई गई। समिति का जॉच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता–1 के पत्रांक 4156 दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त पथ में सरकारी भूमि की उपलब्धता की जॉच किये बिना ही मनमाने तरीके से प्राक्कलन तैयार करने एवं उसी प्राक्कलन पर योजना का कार्य प्रारंभ करने संबंधी आरोपों पर श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र (आरोप वर्ष–2019–20) गठित कर विभागीय पत्रांक 1935 दिनांक 11.09.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा प्राक्कलन में निहित प्रावधानों की जॉच की गई थी, जो स्थल के आवश्यकता अनुसार थी। प्रमंडल कार्यालय में कोई अमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जमीन के स्वामित्व का पता नहीं चल सका। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का उक्त आरेखन पर निर्माण कार्य नहीं कराया गया एवं किसी विपत्र का भुगतान नहीं किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण से समीक्षा करायी गई। मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा अपने समीक्षा में MMGSY अंतर्गत स्वीकृत पथ सरिस्ताबाद से पछैती तक पथ से संपर्कता प्राप्त करने वाली बसावट पछैती की संपर्कता किसी अन्य या इसी पथ से प्राप्त हुई है या नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर निर्णय लेने का मंतव्य दिया गया। उक्त मंतव्य के आलोक में लक्षित बसावट "पछैती" की संपर्कता के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जहानाबाद से प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जहानाबाद द्वारा पत्रांक 1600 दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि आलोच्य पथ से बसावट "पछैती" को किसी अन्य या इस पथ से संपर्कता प्राप्त नहीं है।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जहानाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन पर नोडल पदाधिकारी, एम0एम0जी0एस0वाई0 से मंतव्य प्राप्त की गई। नोडल पदाधिकारी, एम0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अपने मंतव्य में यह अंकित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल जहानाबाद के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है तथा SIA हेतु एजेंसी का चयन हो गया है। कार्यपालक अभियंता से अधियाचना प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त पाया गया कि एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत स्वीकृति 0.470 कि0मी0 लम्बी सरिस्ताबाद से पछैती तक पथ का निर्माण नहीं हो पाया है तथा पछैती बसावट को अभी तक सम्पर्कता प्राप्त नहीं है। इस पथ का एकल सम्पर्कता प्रमाण पत्र पर श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है। इसप्रकार श्री कुमार द्वारा पथ की जॉच किये बिना सरकारी भूमि उपलब्ध होने के संबंध में एकल संपर्कता प्रमाण पत्र दिया गया। अतएव श्री कुमार के विरूद्ध अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है।

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजय कुमार के विरूद्ध लघु दंड के रूप में एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14(iv) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/11/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 2855 /पटना, दिनांकः– 11-11-24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 2855 /पटना, दिनांकः– 11-11-24

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–01–142/2021 2855 /पटना/दिनांकः– 11-11-24

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद/मधुबनी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद/मधुबनी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 2/अ0प्र0–01–142/2021 2855 /पटना/दिनांकः– 11.11.24

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–01–142/2021 2855 /पटना/दिनांकः– 11.11.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–142/2021 2855 /पटना/दिनांकः– 11.11.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/11/24
संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in